न्यूज़ टुडे

केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे वस्तु एवं सेवा कर (GST) जनित राजस्व अंतराल की पूर्ति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से उधार ले सकते हैं

- इस वर्ष कोविड–19 के कारण अर्थव्यवस्था में संकुचन की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके फलस्वरूप यह संभावना व्यक्त की गई है कि इससे राज्यों का **GST राजस्व अंतराल 3 लाख करोड़** रुपये के आस–पास हो सकता है।
    - राज्यों को **प्रतिकर भुगतान (Compensation payments)** में विगत वर्ष अक्टूबर माह से ही विलंब होना प्रारंभ हो गया था, क्योंकि पर्याप्त GST राजस्व संग्रहण नहीं हो रहा था।
    - अप्रैल–जून तिमाही में **GST राजस्व में 41 प्रतिशत की गिरावट** के साथ कोविड–19 महामारी ने इस अंतराल को और अधिक विस्तृत कर दिया है।
- **माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम** में राज्यों को यह गारंटी प्रदान की गई है कि GST के कार्यान्वयन के प्रथम पांच वर्षों (2017–2022) में राज्यों को होने वाले राजस्व में किसी भी क्षति की प्रतिपूर्ति **GST प्रतिकर उपकर (GST Compensation Cess) के माध्यम से की जाएगी।** प्रतिकर उपकर वस्तुतः कुछ वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर अधिरोपित एक अतिरिक्त उपकर है।
    - 3 लाख करोड़ रुपये के अंतराल में से, **प्रतिकर उपकर संग्रहण से केवल 65,000 करोड़ रुपये की ही प्रतिपूर्ति** होने की अपेक्षा की गई है।
    - केंद्र सरकार ने कहा है कि शेष 2.35 लाख करोड़ रुपये में से, **केवल 97,000 करोड़ रुपये GST व्यवस्था अपनाने के कारण हुई राजस्व हानि** के रूप में है तथा शेष राजस्व क्षति कोविड जनित लॉकडाउन के कारण हुई है।
    - सरकार ने स्पष्ट किया है कि 97,000 करोड़ रुपये को GST प्रतिकर अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा तथा **कोविड प्रकोप के कारण हुए शेष राजस्व घाटे को प्रतिकर के अधीन कवर नहीं किया** जाएगा।
- अब इस कमी के निवारणार्थ राज्यों को **दो उधार विकल्प प्रदान किए गये हैं।** (इन्फोग्राफिक देखें)

OPTION 1 ₹2.35 LAKH CRORE

Full GST compensation shortfall for FY21	**Borrowing** from mkt; Centre, RBI to facilitate
Shortfall due to pandemic as well as GST implementation	**Relaxation** of 0.5% in states' borrowing limit under FRBM Act

OPTION 2 ₹97,000 CRORE

Shortfall amount owing to GST implementation	**Borrowing** via RBI special window

KEY HIGHLIGHTS

- **FY21** an extraordinary situation due to 'Act of God'
- **Contraction** in economy expected
- **In both** options, states not to be burdened
- **Option** to be relooked at in FY 2021-22

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा GIS से लैस राष्ट्रीय भूमि बैंक पोर्टल का शुभारंभ किया गया

- **भौगोलिक सूचना प्रणाली (Geographic Information System: GIS) से लैस राष्ट्रीय भूमि बैंक पोर्टल** को औद्योगिक सूचना प्रणाली (Industrial Information System: IIS) और राज्यों की GIS प्रणाली का एकीकरण कर तैयार किया गया है।
    - IIS पोर्टल को **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department for promotion of Industry & Internal Trade: DPIIT)** द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल संसाधन अनुकूलन, औद्योगिक उन्नयन और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध दृष्टिकोण अपनाने हेतु देश भर के औद्योगिक क्षेत्रों/समूहों का एक GIS–सक्षम डेटाबेस है।
    - GIS वस्तुतः भू–सतह पर **अवस्थिति से संबंधित डेटा** को अभिग्रहित (कैप्चर) करने, भंडारित करने, जाँच करने और प्रदर्शित करने के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली है।
- **IIS का उद्देश्य** विभिन्न औद्योगिक पेटियों (industrial belts) के बारे में पोर्टल पर संभार–तंत्र, भूमि, रेल और हवाई संपर्क, कर प्रोत्साहन, जल निकासी प्रणाली, विद्युत आपूर्ति तथा कच्चे माल की उपलब्धता का विवरण प्रदान करना है।
    - वर्तमान में **छह राज्यों की औद्योगिक पेटियों की जानकारी** इस पोर्टल पर उपलब्ध है।
- **लाभः** यह निवेशकों को संभावित परियोजनाओं के लिए **औद्योगिक भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के बारे में वास्तविक समय पर सूचना प्राप्त करने में सहायता** प्रदान करेगी; विशेष रूप से बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब का समाधान करेगी, कृषि उपयोग से भूमि रुपांतरण में सुगमता होगी, व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार होगा आदि।
- **भूमि उपलब्धता से संबंधित मुद्देः** मांग और आपूर्ति के मध्य असंतुलन, विखंडित भू–जोत, विनियामक एवं नीतिगत प्रतिबंध, अप्रभावी मूल्य निर्धारण व्यवस्था तथा कमजोर सूचनात्मक व संस्थागत तंत्र आदि।

उच्चतम न्यायलय के अनुसार राज्यों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मध्य उप–समूह हो सकते हैं

- उच्चतम न्यायलय की पांच न्यायाधीशों वाली एक संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया है कि राज्य कुछ अनुसूचित जातियों को दूसरों पर अधिमान्य उपचार (preferential treatment) प्रदान करने के लिए **'केंद्रीय सूची' में शामिल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप–वर्गीकृत (sub-classify) कर सकते हैं।**
    - उल्लेखनीय है कि राज्यों ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि आरक्षण के बावजूद कुछ जातियों को अन्यों की तुलना में अत्यल्प प्रतिनिधित्व प्राप्त है।
- इससे पूर्व वर्ष 2005 में, **ई.वी.चिन्नायाह बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य वाद** में, उच्चतम न्यायलय (पांच न्यायाधीशों की पीठ) ने निर्णय दिया था कि **केवल राष्ट्रपति को ही एक जाति को अनुसूचित जाति के रूप में शामिल अथवा बाहर करने की शक्ति प्राप्त है** तथा राज्य इस सूची में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।
    - **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की केंद्रीय सूची** को **अनुच्छेद 341 एवं 342** के तहत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है।
- न्यायलय ने कहा कि, **केंद्रीय सूची में उप–वर्गीकरण करने का अर्थ इसमें परिवर्तन करना नहीं है।** राज्य केवल सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर और व्यावहारिक रूप से सबसे कमजोर वर्ग को ही वरीयता प्रदान करेंगे।
- चूंकि समान न्यायाधीशों की संख्या (क्योंकि इस मामले में भी पांच न्यायाधीशों ने निर्णय दिया है) वाली एक पीठ विगत खंडपीठ के निर्णय को रद्द नहीं कर सकती है, इसलिए न्यायालय ने इस मामले को अब एक **बड़ी पीठ** को संदर्भित किया है।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि संविधान निर्माताओं द्वारा कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान शाश्वत रूप में नहीं किया गया था और परिवर्तित होती सामाजिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखे बिना सामाजिक रुपांतरण के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अफ्रीकी क्षेत्र को वाइल्ड पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया है

- जब **विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्गीकृत क्षेत्र (WHO Region) के सभी देशों में लगातार 3 वर्षों तक वाइल्ड पोलियो का कोई नया मामला प्रकट नहीं होता है, तब उस क्षेत्र को** पोलियो मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। किसी भी एकल देश (single country) को पोलियो मुक्त देश के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता है।
    - वर्तमान में एकमात्र **पूर्वी भूमध्यसागर क्षेत्र** को छोड़कर (जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी शामिल हैं), **छह WHO क्षेत्रों में से पांच क्षेत्र वाइल्ड पोलियो वायरस से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं।**
    - वर्ष 2014 में, भारत को WHO के दक्षिण–पूर्व एशियाई क्षेत्र के तहत आधिकारिक रूप से पोलियो मुक्त घोषित किया गया था।
- पोलियोमाइलाइटिस (पोलियो) एक अत्यधिक **संक्रामक रोग है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है।** वाइल्ड पोलियो वायरस के **3 प्रकार** हैं यथा– टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तथा वर्तमान में केवल टाइप 1 वाइल्ड पोलियो वायरस ही संचारित हो रहा है।
- पोलियो वायरस के विरुद्ध **दो प्रकार के टीके दिए जाते हैं, यथा–**
    - **निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (Inactivated Polio Vaccine: IPV):** यह निष्क्रिय (मृत) पोलियो वायरस से निर्मित होता है तथा पोलियो के सभी उपभेदों (strains) से प्रतिरक्षा प्रदान करता है।
    - **ओरल पोलियो वैक्सीन (Oral Polio Vaccine: OPV):** इसमें एक जीवित, क्षीणीकृत (दुर्बल) वैक्सीन–वायरस होता है। जब एक बच्चे को यह टीका लगाया जाता है, तो दुर्बल वैक्सीन–वायरस पोलियो वायरस की प्रतिकृतियां सृजित करता है, जिससे एक सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया सक्रिय होती है।
    - हालांकि, कुछ मामलों में, **प्रतिकृति निर्माण के दौरान वैक्सीन–वायरस आनुवंशिक रूप से परिवर्तित हो जाता है।** इसे वैक्सीन–व्युत्पन्न पोलियो वायरस (Vaccine-Derived Poliovirus: VDPV) कहा जाता है।
- **भारत से उन्मूलित रोगः** याज (Yaws), पोलियो, गिनी कृमि (Guinea worm), स्मॉल पॉक्स तथा मातृ और नवजात टेटनस।

Region	Year certified polio-free
WHO African Region	2020
WHO Region of the Americas	1994
WHO South-East Asia Region	2014
WHO European Region	2002
WHO Eastern Mediterranean Region	Not Yet certified
WHO Western Pacific Region	2000

VISION IAS

भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (Data Security Council of India: DSCI) और पे–पल इंडिया (PayPal India) की रिपोर्ट में डिजिटल भुगतानों में होने वाली धोखाधड़ी से निपटने के लिए रूपरेखा की आवश्यकता पर बल दिया गया है

- इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि देश में डिजिटल भुगतानों के बढ़ते हुए उपयोग ने **डिजिटल लेन–देन से संबद्ध साइबर सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए** एक व्यापक रूपरेखा की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया है।
  - भारत के डिजिटल भुगतान उद्योग के **वर्ष 2023 तक पांच गुना बढ़ कर 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने** की अपेक्षा की गई है (वर्तमान में यह लगभग 200 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर है)।

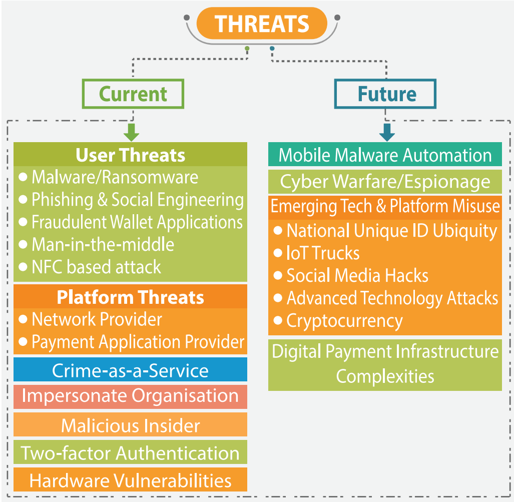

भारत के लिए जोखिम कारक:
- देश की बड़ी आबादी **जिसमें तकनीकी ज्ञान का नितांत अभाव** है।
- सामान्य–जन को **साइबर सुरक्षा से संबद्ध जोखिमों के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं है।**
- डिजिटल भुगतान माध्यमों को **अपनाने में अकस्मात तेजी** आई है।
- डिजिटल भुगतान अवसंरचना और उत्पादों आदि में **सुभेद्यताएं एवं अंतराल व्याप्त हैं।**

- **मुख्य सुझाव:**
  - वैश्विक साइबर सुरक्षा पारितंत्र के प्रबंधन और साइबर अपराध को नियंत्रित करने के लिए **दीर्घकालिक रणनीति** की आवश्यकता है।
  - डिजिटल भुगतान के लिए **मानकीकृत डेटा संरक्षण कानून** और साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क अपरिहार्य है।
  - **जोखिम प्रबंधन प्रौद्योगिकियों** पर व्यापक विनियामक दिशा–निर्देश जारी किए जाने चाहिए।
  - **ख़तरों से संबंधित आसूचनाओं** को संपूर्ण डिजिटल पारितंत्र में साझा किया जाना चाहिए।
  - साइबर सुरक्षा और फिनटेक (वित्त प्रौद्योगिकी) क्षेत्र के लिए **सुदृढ़ स्टार्ट–अप नवाचार कार्यक्रम** अपनाया जाना चाहिए।
  - **साइबर सुरक्षा शिक्षा और कार्यबल विकास** के लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी पर विचार किया जा सकता है।
  - **कंपनियों के बोर्ड एवं उच्चाधिकारियों (Boards and C-Suites)** हेतु साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण को अधिमान्य बनाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
    - ❖ C-Suites, का प्रयोग किसी संगठन के भीतर **उच्च रैंकिंग के कार्यकारी पदों (C श्रेणी: CEO, CFO, COO, CIO आदि)** को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।

अन्य सुर्खियाँ

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान–एशिया के लिए परिवहन पहल {Nationally Determined Contributions& Transport Initiative for Asia (NDC- TIA)}	❍ NDC-TIA परियोजना का उद्देश्य विभिन्न विषयों से संबद्ध मंत्रालयों, नागरिक समाज और निजी क्षेत्र के मध्य समन्वय स्थापित करने वाली **विकार्बनीकृत (decarbonising) परिवहन के लिए प्रभावी नीतियों की एक सुसंगत रणनीति को प्रोत्साहित करना** है। ❍ यह परियोजना **वर्ष 2020–24 की अवधि हेतु भारत, वियतनाम और चीन** में विकार्बनीकृत परिवहन को प्रोत्साहन प्रदान करने के व्यापक दृष्टिकोण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम है। ❍ यह **सात संगठनों की एक संयुक्त परियोजना** है, जिसके अंतर्गत विश्व संसाधन संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन परिषद आदि सम्मिलित हैं। ❍ **भारत में इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन भागीदार नीति आयोग** (NITI Aayog) है।
नासा के मानचित्रों द्वारा वैश्विक मैंग्रोव पर्यावास की क्षति के कारणों को प्रदर्शित किया गया (NASA maps trace causes of global mangrove habitat loss)	❍ मानचित्र में यह प्रदर्शित किया गया है कि वर्ष 2000 और वर्ष 2016 के मध्य **समग्र मैंग्रोव पर्यावास क्षति में गिरावट आई** है। ➢ **मानवीय कारणों की तुलना में** प्राकृतिक कारणों जैसे अपरदन और चरम मौसम से होने वाली क्षति में **अत्यंत मंद गति से गिरावट दृष्टिगोचर हुई** है। ❍ **मैंग्रोव क्षति हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारक:** चावल एवं पाम ऑयल की कृषि; झींगा मछली पालन; चरम मौसमी घटनाएं आदि। ❍ मैंग्रोव वस्तुतः **वृक्ष और झाड़ियाँ होते हैं तथा ये उष्णकटिबंध एवं उपोष्णकटिबंध के तटीय क्षेत्रों में** नम व आर्द्र मृदा में विकसित होते हैं। ➢ ये अपरदन और अन्य प्रकार की क्षति से **तट रेखा को सुरक्षा प्रदान करते हैं** तथा साथ ही अपनी जड़ों, तने एवं मृदा में कार्बन को संग्रहित करते हैं।
उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान) {Ude Desh Ka Aam Nagrik (UDAN)}	❍ **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (Regional Connectivity Scheme: RCS)– उड़ान** के चौथे दौर के तहत 78 नए हवाई मार्गों को स्वीकृति प्रदान की गई है। ➢ उड़ान के चौथे दौर को दिसंबर 2019 में **पूर्वोत्तर क्षेत्रों, पर्वतीय राज्यों और द्वीपों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ** आरंभ किया गया था। ❍ उड़ान योजना को **वर्ष 2016 में प्रारंभ** किया गया था। इस योजना का उद्देश्य मौजूदा हवाई–पट्टियों और विमान पत्तनों के पुनरुत्थान के माध्यम से **असेवित (un-served) तथा अल्प–सेवित (under-served) विमान पत्तनों पर कनेक्टिविटी प्रदान करना है।** ➢ इस योजना के तहत, एयरलाइनों हेतु एक फ्लाइट (उड़ान) की **50% सीटों के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्त–पोषण (Viability Gap Funding: VGF)** की व्यवस्था गई है तथा सरकार द्वारा उन सीटों के लिए किराये की उच्चतम सीमा निर्धारित की जाती है। ❍ यह योजना **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016** (National Civil Aviation Policy, 2016) का एक प्रमुख घटक है।
किरण (KIRAN)	❍ यह प्रारंभिक जांच, प्राथमिक चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक सहायता, तनाव प्रबंधन, मानसिक कल्याण आदि जैसे मुद्दों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु एक **मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन** है। ❍ यह हेल्पलाइन 13 भाषाओं में सेवाएं प्रदान करेगी। ❍ इसे **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** (Ministry of Social Justice and Empowerment) द्वारा प्रारंभ किया गया है।
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो {Bureau of Police Research and Development (BPR&D)}	❍ BPR&D गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 28 अगस्त 2020 को इसने अपना **स्वर्ण जयंती समारोह** मनाया। ❍ इसकी स्थापना **पुलिस बल में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, पुलिस बल की समस्याओं के त्वरित और प्रणालीगत अध्ययन को प्रोत्साहित करने, पुलिस बल द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति व तकनीकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने** आदि कृत्यों के संपादन हेतु की गई थी।
विश्व उर्दू सम्मेलन (World Urdu Conference)	❍ इसका आयोजन **राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद** (National Council for Promotion of Urdu Language: NCPUL) द्वारा किया जा रहा है। ❍ NCPUL भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के **उच्चतर शिक्षा विभाग** के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
ग्रेट अंडमानी जनजाति (Great Andamanese tribe)	❍ हाल ही में, इस जनजाति के कुछ सदस्य **कोविड–19 पॉज़ीटिव पाए गए हैं।** ❍ ग्रेट अंडमानी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले पांच **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों** (PVTG) में से एक हैं। अन्य PVTG समूह हैं: जारवा, ओंग, शॉम्पेन और सेंटिनेलीज़।

8468022022, 9019066066
www.visionias.in
दिल्ली लखनऊ जयपुर हैदराबाद पुणे अहमदाबाद चंडीगढ़
/c/VisionIASdelhi /Vision_IAS /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC